

आरबीआई/2024-25/09

डीओआर.सीएपी.आरईसी. 5/09.18.201/2024-25

अप्रैल 01, 2024

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया उपर्युक्त विषय पर [दिनांक अप्रैल 20, 2023 का हमारा मास्टर परिपत्र डीओआर.सीएपी.आरईसी.11/09.18.201/2023-24](#) देखें।

2. संलग्न [मास्टर परिपत्र परिशिष्ट](#) में सूचीबद्ध किए गए अनुसार इस विषय पर मार्च 31, 2024 तक के सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन करता है।

भवदीया

(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

मास्टर परिपत्र

पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

विषयवस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	3
2.	सांविधिक आवश्यकता	3
3.	निवल मालियत	3
4.	पूँजी पर्याप्तता मानदंड	3
5.	बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी	8
6.	उधार के साथ शयर लीकिंग	9
7.	शयर पूँजी की धनवापसी	9
8.	अनुबंध-3 और अनुबंध-4 में विनिर्दिष्ट विनियामक पूँजी लिखतों में निवेशकों की सुरक्षा के उपाय	11
9.	विवरणी	11
10.	अनुबंध 1 – यूसीबी द्वारा निवल मालियत की गणना	12
11.	अनुबंध-2 - सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार	14
12.	अनुबंध-3 - अधिमानी शयर जारी करने संबंधी दिशानिर्देश	22
13.	अनुबंध-4 - ऋण पूँजी लिखत जारी करने संबंधी दिशानिर्देश	28
14.	अनुबंध-5 - रिटर्न के लिए प्रोफार्मा	34
15.	परीक्षा	37

मास्टर परिपत्र

पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

1. परिचय

पूँजी किसी बैंक के संकट अथवा खराब कार्य-निष्पादन के समय सुरक्षित पूँजी (बफर) के रूप में कार्य करती है। पूँजी की पर्याप्तता जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करती है। इसलिए पूँजी की पर्याप्तता किसी नए बैंक के लाइसेंसकरण तथा व्यवसाय में उसके बने रहने की एक पूर्वशर्त है।

2. सांविधिक अपेक्षाएँ

बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 11 में निहित उपबंधों के अनुसार कोई भी सहकारी बैंक तब तक बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ अथवा जारी नहीं रख सकता जब तक उसकी चुकता पूँजी तथा आरक्षित निधि का कुल मूल्य एक लाख रुपये से कम है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी नए शहरी सहकारी बैंक की स्थापना के लिए समय-समय पर न्यूनतम प्रवेश बिंदु पूँजी (प्रवेश बिंदु संबंधी मानदंड) निर्धारित करता है।

3. निवल मूल्य

यूसीबी का न्यूनतम निवल मूल्य निम्नानुसार होगा:

- एक जिले में संचालित टियर 1¹ यूसीबी का न्यूनतम नेटवर्थ ₹2 करोड़ रुपये होगा।
- अन्य सभी यूसीबी (सभी टियर के) का न्यूनतम निवल मूल्य ₹5 करोड़ होगा।
- यूसीबी जो वर्तमान में उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, चरणबद्ध तरीके से ₹2 करोड़ या ₹5 करोड़ (जैसा लागू हो) का न्यूनतम निवल मूल्य प्राप्त करेंगे। ऐसे यूसीबी को 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले लागू न्यूनतम निवल मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत और 31 मार्च, 2028 को या उससे पहले पूरे निर्धारित न्यूनतम निवल मूल्य को प्राप्त करना होगा।

इस संदर्भ में "निवल मूल्य" की गणना [अनुबंध 1](#) में प्रदान की गई है।

¹ टियर 1 - सभी यूनिट यूसीबी और वेतन भोगियों के यूसीबी (जमा आकार के बावजूद), और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपये तक की जमा राशि है;

टियर 2 - 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1000 करोड़ रुपये तक जमा वाले यूसीबी;

टियर 3 - 1000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये तक की जमा राशि वाले यूसीबी;

टियर 4 - 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले यूसीबी

4. पूँजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड

यूसीबी निम्नानुसार न्यूनतम पूँजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखेंगे:

- टियर 1 यूसीबी को अब तक की तरह, निरंतर आधार पर जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना होगा।
- टियर 2 से 4 यूसीबी को निरंतर आधार पर आरडब्ल्यूए के 12 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना होगा।
- टियर 2 से 4 में यूसीबी, जो वर्तमान में आरडब्ल्यूए के 12 प्रतिशत के संशोधित सीआरएआर को पूरा नहीं करते हैं, चरणबद्ध तरीके से इसे प्राप्त करेंगे। ऐसे यूसीबी को 31 मार्च, 2024 तक कम से कम 10 प्रतिशत, 31 मार्च, 2025 तक 11 प्रतिशत और 31 मार्च, 2026 तक 12 प्रतिशत सीआरएआर हासिल करना होगा।

सीआरएआर की गणना निम्नानुसार होगी:

$$\text{सीआरएआर} = \frac{\text{पात्र कुल पूँजी}}{\text{कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)}}$$

पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए पूँजीगत निधियों (पात्र कुल पूँजी) में टियर I और टियर II पूँजी शामिल होगी जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है। सीआरएआर मानदंडों के अनुपालन के उद्देश्य से कुल टियर II पूँजी को कुल टियर I पूँजी के अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी।

बैंकों के विभिन्न श्रेणी के ऋण जोखिम के लिए जोखिम भार [अनुबंध-2](#) में उल्लिखित हैं।

4.1 टियर I पूँजी

टियर I में निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

- (i) मताधिकार रखनेवाले नियमित सदस्यों से प्राप्त चुकता शेयर पूँजी²।
- (ii) सहायक/नाममात्र के सदस्यों से प्राप्त अंशदान जहाँ उप-विधियों के अनुसार उन्हें शेयरों के आबंटन की अनुमति है और बशर्ते ऐसे शेयरों के आहरण पर प्रतिबंध हो, जैसा कि नियमित सदस्यों पर लागू होता है।

² शहरी सहकारी बैंकों को अब तक की तरह (i) अपने परिचालन क्षेत्र में व्यक्तियों को उनके उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार शेयर जारी करके, और (ii) मौजूदा सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करके शेयर पूँजी जुटाने की अनुमति है।

- (iii) सहायक और नाममात्र के सदस्यों से वसूल किए गए अंशदान/अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क जिसे अलग से उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित निधियाँ" के रूप में धारित किया जाता है, क्योंकि वे अप्रतिदेय हैं।
- (iv) स्थायी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस), जो [अनुबंध-3](#) में निर्दिष्ट नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
- (v) लेखापरीक्षित खातों के अनुसार मुक्त आरक्षित निधि। बाहरी देनदारियों को पूरा करने के लिए सृजित भंडार, यदि कोई हों, को टियर-1 कैपिटल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मुक्त आरक्षित निधियों में उन सभी आरक्षित निधियों / प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें प्रत्याशित ऋण हानियों, धोखाधड़ी आदि के कारण होने वाली हानियों, निवेशों तथा अन्य आस्तियों के मूल्यहास तथा अन्य बाह्य देयताओं को पूरा करने के लिए सृजित किया गया हो। उदाहरण के लिए 'भवन निधि' शीर्ष के अंतर्गत धारित राशियाँ मुक्त आरक्षित निधि के हिस्से के रूप में मानी जाने के लिए पात्र होंगी जबकि "अशोध और संदिग्ध आरक्षित निधियों" को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- (vi) संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले अधिशेष को दर्शानेवाली पूंजीगत आरक्षित निधि।
- (vii) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) जो [अनुबंध-4](#) में निर्दिष्ट नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
- (viii) लाभ और हानि खाते में कोई अधिशेष (निवल) अर्थात्, देय लाभांश, शिक्षा निधि, अन्य निधि, जिसका उपयोग परिभाषित किया गया है, संपत्ति हानि, यदि कोई हो, आदि के लिए विनियोग के बाद शेष राशि है।
- (ix) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में बकाया राशि।
- (x) पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, जो बैंक की आस्ति के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उसकी वहन राशि में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन 55 प्रतिशत की छूट पर टियर 1 पूंजी के रूप में माना जा सकता है:
 - बैंक अपनी इच्छा से संपत्ति को आसानी से बेचने में सक्षम है और संपत्ति बेचने में कोई कानूनी बाधा नहीं है;
 - पुनर्मूल्यांकन भंडार को बैलेंस शीट में "रिजर्व फंड और अन्य भंडार" के तहत अलग से प्रस्तुत / प्रकट किया जाता है;
 - लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन यथार्थवादी हैं;
 - मूल्यांकन हर तीन साल में कम से कम एक बार दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से

प्राप्त किया जाता है;

- जहां संपत्ति का मूल्य किसी भी घटना से काफी हद तक गिर गया है, इन्हें तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पूंजी पर्याप्तता गणनाओं में उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए;
- बैंक के बाहरी लेखा परीक्षक (ओं) ने संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर एक योग्य राय व्यक्त नहीं की है;
- संपत्तियों के मूल्यांकन और अन्य विशिष्ट अपेक्षाओं पर अनुदेश अग्रिमों का प्रबंधन – यूसीबी, समय-समय पर यथासंशोधित, पर [दिनांक जुलाई 25, 2023 के मास्टर परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.सं.27/07.10.002/2023-24](#) के [अनुबंध 1](#) (संपत्तियों के मूल्यांकन पर दिशानिर्देश – मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल) में उल्लिखित किए गए अनुसार कड़ाई से पालन किया जाता है।

पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व जो टियर 1 पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, वे भी टियर 2 पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे। बैंक ऊपर निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन, अपने विवेकानुसार टियर 1 पूंजी या टियर 2 पूंजी में पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व की गणना करने का विकल्प चुन सकता है।

नोट:

- (i) अमूर्त आस्तियों की राशि, चालू वर्ष के दौरान तथा पिछली अवधियों से आगे लाई गई हानियों, एन पी ए प्रावधानों में घाटे, अनर्जक आस्तियों पर गलती से दर्ज की गई आय, बैंक पर अंतरित देयता के लिए अपेक्षित प्रावधान आदि को टियर 1 पूंजी से घटा दिया जाए।
- (ii) किसी निधि को टियर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए निधि को दो मानदंडों पर खरा उतरना चाहिए जैसे निधि लाभ के विनियोग से सृजित की जानी चाहिए और उसे मुक्त आरक्षित निधि होना चाहिए न कि विशेष आरक्षित निधि। तथापि, यदि उसे लाभ के विनियोग से न सृजित करके लाभ पर प्रभार के द्वारा सृजित किया गया हो तो वस्तुतः यह निधि एक प्रावधान होगी और इस प्रकार वह नीचे दिए गए अनुसार केवल टियर 2 पूंजी के रूप में परिगणित की जाने की पात्र होगी और वह जोखिम भारित आस्तियों के 1.25% की सीमा के अधीन होगी बशर्ते वह किसी समान संभावित हानि या किसी आस्ति के मूल्य में हास या किसी ज्ञात देयता के कारण न हुई हो।
- (iii) बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई) जो [दिनांक 23 जनवरी 2009 के परिपत्र यूसीबी.पीसीबी.परि.सं.39/09.16.900/08-09](#) के अनुबंध के अनुसार जारी किए गए थे, को इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध में निर्धारित सीमा के अधीन टियर-1 पूंजी के रूप में भी माना जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिनांक 23 जनवरी, 2009 के परिपत्र के अनुबंध को [दिनांक 08 मार्च, 2022 के परिपत्र सं. DOR.CAP.REC.92/09.18.201/2021-22](#) द्वारा निरस्त कर दिया गया है और 08 मार्च, 2022 से यूसीबी की पुनर्जीवन योजना/ वित्तीय पुनर्निर्माण (23 जनवरी 2009 के परिपत्र के अनुसार) के हिस्से के रूप में मौजूदा जमाओं को परिवर्तित करके पीडीआई के माध्यम से

जारी राशि इस मास्टर परिपत्र के [अनुबंध-4](#) का अनुपालन करेगी।

4.2 टियर II पूँजी

टियर II पूँजी के अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल होंगी:

4.2.1 सामान्य प्रावधान तथा हानि आरक्षित निधि

इनके अंतर्गत बैंक की बहियों में प्रकट होने वाले सामान्य प्रकृति के ऐसे प्रावधान शामिल होते हैं जो किसी स्पष्ट संभावित हानि, किसी आस्ति या ज्ञात देयता के मूल्य में हास के कारण नहीं किए गए हों। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि ऊपर दिए गए अनुसार टियर II पूँजी के एक भाग के रूप में सामान्य प्रावधान की किसी राशि पर विचार करने से पहले सभी ज्ञात हानियों तथा पूर्वाभासी एवं संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए: मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान, दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधान आदि को इस श्रेणी के तहत शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान जिन्हें टियर II पूँजी में शामिल करने पर विचार किया जाता है, कुल भारित जोखिम आस्तियों के 1.25% तक स्वीकार किया जाएगा।

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार निवल एनपीए की राशि परिकलित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए के लिए किया गया प्रावधान सकल एनपीए की राशि से घटाकर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का विवेकपूर्ण व्यवहार और पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए इसका व्यवहार नीचे दिया गया है:

(ए) अतिरिक्त सामान्य प्रावधान (अस्थिर प्रावधान)

अशोध्य ऋणों के लिए अतिरिक्त सामान्य प्रावधान (अस्थिर प्रावधान) अर्थात् किसी विशेष ऋण अशोध्यता (एनपीए) के लिए निर्धारित नहीं किए गए प्रावधानों का प्रयोग सकल एनपीए के नेटिंग के लिए अथवा कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों की 1.25% समग्र सीमा के भीतर टियर II पूँजी में शामिल करने के लिए किया जा सकता है लेकिन उनका प्रयोग दोनों रूपों में नहीं किया जा सकता।

(बी) एनपीए के लिए निर्धारित राशि से अधिक विशेष प्रावधान

ऐसे मामलों में जहां बैंक विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत निर्धारित से अधिक एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करते हैं, शुद्ध एनपीए की राशि की रिपोर्ट करते समय कुल विशिष्ट प्रावधान को सकल एनपीए की राशि से घटाएँ। बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त प्रावधान को टियर II पूँजी के रूप में नहीं माना जाएगा।

(सी) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधान

[भारतीय रिज़र्व बैंक \(ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण\) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर, 2021](#) और समय-समय पर यथासंशोधित निर्देशों के अनुसार, एआरसी को तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधानों को, रिवर्सल होने तक, 'प्रावधानों' के तहत दिखाया जाना जारी रहेगा और इसे जोखिम वाली परिसंपत्तियों के 1.25% की समग्र सीमा के भीतर टियर II पूंजी के रूप में माना जाएगा।

(डी) उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान

पुनर्रचित खातों, मानक परिसंपत्तियों और एनपीए दोनों के संबंध में, के उचित मूल्य में कमी के प्रावधानों को संबंधित ऋण परिसंपत्ति से समायोजित करने की अनुमति है और इसे टियर II पूंजी के रूप में नहीं माना जाएगा।

4.2.2 निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

[दिनांक 1 अप्रैल 2023 के मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(प्राथमिक \(शहरी\) सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन\) निदेश, 2023](#) के अनुसार सृजित निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व में शेष राशि टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होंगे।

4.2.3 टियर II पूंजी लिखत

शहरी सहकारी बैंक अपनी टियर-II पूंजी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लिखत जारी करें:

ए) अपर टियर-II लिखत - स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) और मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) जो अनुबंध-3 में निर्दिष्ट नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

बी) लोअर टियर-II लिखत - दीर्घावधि अधीनस्थ बॉन्ड (एलटीएसबी) जो अनुबंध-4 में निर्दिष्ट नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

नोट: बकाया दीर्घावधि (अधीनस्थ) जमा (एलटीडी) जो [15 जुलाई 2008 के परिपत्र शबैवि.पीसीबी.परि.सं.4/09.18.201/08-09](#) के अनुबंध-II के अनुसार जारी किए गए थे, और उसके बाद किए गए अनुवर्ती संशोधन, इस मास्टर परिपत्र के [अनुबंध-4](#) में निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन टियर-II पूंजी के रूप में माने जाने के लिए भी पात्र होंगे। यह नोट करें कि दिनांक 15 जुलाई 2008 के परिपत्र को [दिनांक 08 मार्च 2022 के परिपत्र सं. डीओआर.सीएपी.आरईसी.92/09.18.201/2021-22](#) द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

5. बाजार जोखिम के लिए पूंजी

- 5.1 बाजार जोखिम को बाजार कीमतों में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न तुलन पत्र तथा तुलनपत्रेतर स्थितियों में हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। बाजार जोखिम स्थितियाँ, जो पूंजी प्रभारों के अधीन हैं, नीचे दी गई है:

- ट्रेडिंग बुक के अंतर्गत ब्याज दर से संबंधित लिखतों तथा इकिटियों से संबंधित जोखिम; तथा

- बैंक (बैंकिंग एवं ट्रेडिंग बुक दोनों) के संपूर्ण दायरे में विदेशी मुद्रा जोखिम (मूल्यवान धातुओं में खुली स्थिति सहित)
- 5.2 बाजार जोखिमों के लिए पूंजी की आवश्यकता निर्धारित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम के रूप में, शहरी सहकारी बैंकों को निवेश पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार निर्दिष्ट करने की सलाह दी गई थी। इन अतिरिक्त जोखिम भारों को [संलग्नक-2](#) के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के संबंध में ऋण जोखिम के लिए निर्धारित जोखिम भार के साथ जोड़ा जाता है और बैंकों को इसके लिए अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे विदेशी मुद्रा और सोने पर खुली स्थिति की सीमा पर 100% का जोखिम भार निर्धारित करें और मौजूदा निर्देशों के अनुसार निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि का निर्माण करें।
- 5.3 एडी श्रेणी I लाइसेंस रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों को [8 फरवरी 2010 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी \(पीसीबी\)परि.सं.42/09.11.600/2009-10](#) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए पूंजी उपलब्ध कराना आवश्यक है।

6. उधार से शेयर को लिंक करना

शहरी सहकारी बैंकों से उधार (केवल सावधि जमाराशियों के आधार पर अग्रिम मामले में) को उधार लेने वाले सदस्यों की शेयरधारिता के साथ निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा:

- (i) उधार का 5 प्रतिशत, यदि उधार गैर-प्रतिभूतीकृत आधार पर हैं।
- (ii) उधार का 2.5 प्रतिशत, प्रतिभूतीकृत उधार के मामलों में।
- (iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा प्रतिभूतीकृत उधार के मामलों में, उधार का 2.5 प्रतिशत, जिसमें से 1 प्रतिशत शुरू में एकत्र किया जाना है और शेष 1.5 प्रतिशत अगले 2 वर्षों के दौरान एकत्र किया जाना है।

उपरोक्त शेयर लिंकिंग मानदंड बैंक की कुल चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत की सीमा तक सदस्य की शेयरधारिता के लिए लागू हो सकते हैं। जहां किसी सदस्य के पास पहले से ही यूसीबी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 5 प्रतिशत है, तो उसके लिए मौजूदा शेयर लिंकिंग मानदंडों के लागू होने के कारण किसी भी अतिरिक्त शेयर पूंजी की सदस्यता लेना आवश्यक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, एक उधार लेने वाले सदस्य को उस राशि के लिए शेयर रखने की आवश्यकता है जिसकी गणना मौजूदा शेयर लिंकिंग मानदंडों के अनुसार की जा गई है या उस राशि के लिए जो बैंक की कुल चुकता शेयर पूंजी का 5 प्रतिशत है, जो भी कम हो।

उधार मानदंडों से शेयर-लिंकिंग उन शहरी सहकारी बैंकों के विवेकाधीन होगा जो नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार लागू न्यूनतम नियामक सीआरएआर और 5.5 प्रतिशत के टीयर 1 सीआरएआर और वैधानिक निरीक्षण के दौरान आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए अंतिम सीआरएआर को पूरा करते हैं। ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के पास उधार मानदंडों से शेयर-लिंकिंग पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी जिसे पारदर्शी, सुसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। लेखा वर्ष की शुरुआत में बोर्ड द्वारा नीति की समीक्षा की जाए। शहरी सहकारी बैंक,

जो लागू न्यूनतम सीआरएआर और 5.5 प्रतिशत के टीयर 1 सीआरएआर को बनाए नहीं रखते हैं, उन्हें ऊपर निर्दिष्ट उधार के साथ शेयर-लिंगिंग संबंधी मानदंडों द्वारा निर्देशित होना जारी रहेगा।

सदस्यों / ग्राहकों द्वारा रखे गए स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयरों (पीएनसीपीएस) को मौजूदा उधार मानदंडों को शेयर से जोड़ने के साथ अनुपालन के प्रयोजन के लिए माना जाए।

7. शेयर पूंजी को वापस करना

बीआर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 12(2) (ii) के अनुसार, एक सहकारी बैंक अपनी शेयर पूंजी को वापस नहीं लेगा या कम नहीं करेगा, सिवाय उस सीमा और शर्तों के, जैसा कि इस दिशा में रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने सदस्यों या मृत सदस्यों के नामितों/उत्तराधिकारियों को मांग पर³ शेयर पूंजी वापस करने की अनुमति दी जाए:

ए) दोनों नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और वैधानिक निरीक्षण के दौरान आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए अंतिम सीआरएआर बैंक के लिए लागू न्यूनतम नियामक सीआरएआर का अनुपालन करता है।

बी) इस तरह की वापसी के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर बैंक पर लागू न्यूनतम विनियामक सीआरएआर स्तर से नीचे नहीं जाता है।

ऊपर्युक्त के अनुसार सीआरएआर की गणना के प्रयोजन के लिए, तुलन पत्र की तारीख⁴ के बाद पूंजीगत निधियों में वृद्धि, लाभ को छोड़कर अन्य तरीके से, ध्यान में रखा जाए। उक्त अवधि के दौरान पूंजीगत निधियों में किसी प्रकार की कमी, जिसमें हानियां भी शामिल हैं, पर भी विचार किया जाएगा।

³ रिफंड के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सदस्य के अधीन।

⁴ पूंजी निधि लेखापरीक्षित आंकड़ों के अनुसार होगी।

8. अनुबंध- 3 और अनुबंध- 4 में विनिर्दिष्ट विनियामक पूंजी लिखतों में निवेशकों की सुरक्षा के उपाय

विनियामक पूंजी लिखतों की जोखिम विशेषताओं पर निवेशक शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से, शहरी सहकारी बैंक, जो अनुबंध-3 और अनुबंध-4 में निर्दिष्ट विनियामक पूंजी लिखत जारी करते हैं, निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:

ए) फ्लोटिंग दर लिखतों के लिए, बैंकों को अपनी सावधि जमा दर को बेंचमार्क के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए।

बी) उपकरणों की विशेषताओं और जोखिमों को समझने के लिए निवेशकों से नीचे उद्धृत एक विशिष्ट साइन-ऑफ को प्रस्तावित इश्यू के सामान्य आवेदन पत्र में शामिल किया जाए:

"यह आवेदन करके, मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैं/हम ने [बैंक का नाम] द्वारा जारी किए जा रहे [शेयर/प्रतिभूति का नाम] निर्गम के नियम और शर्तों को समझ लिया है, जैसा कि प्रॉस्पेक्टस और प्रस्ताव दस्तावेज़ में बताया गया है।".

सी) शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रचार सामग्री/प्रस्ताव दस्तावेज, आवेदन पत्र और निवेशक के साथ अन्य संचार में स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में (एरियल फ़ॉन्ट, आकार 14, अंग्रेजी / वर्नाक्यूलर संस्करण में समकक्ष आकार) स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कैसे एक पीएनसीपीएस / पीसीपीएस / आरएनसीपीएस / आरसीपीएस / पीडीआई / एलटीएसबी, जैसा भी मामला हो, एक सावधि जमा से अलग है, और यह कि ये उपकरण जमा बीमा द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।

डी) लिखत के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण की प्रक्रिया भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

9. विवरणी

बैंकों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें (i) पूंजीगत निधियां, (ii) ऑफ बेलेंस शीट / गैर-निधि एक्सपोजर का रूपांतरण, (iii) जोखिम भारित आस्तियों की गणना, और (iv) पूंजीगत निधियों की गणना और जोखिम संपत्ति अनुपात का उल्लेख किया गया हो। विवरणी का प्रारूप अनुबंध-5 में दिया गया है। विवरणी पर दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो रिजर्व बैंक को प्रस्तुत वैधानिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हैं।

यूसीबी द्वारा निवल मूल्य की गणना

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. करोड़)
1	मतदान की शक्तियां रखने वाले नियमित सदस्यों से एकत्रित चुकता शेयर पूंजी	
2	सतत गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस)	
3	नाममात्र/सहयोगी सदस्यों से प्राप्त योगदान जहां उप-नियम उन्हें शेयरों के आवंटन की अनुमति देते हैं और बशर्ते कि ऐसे शेयरों की निकासी पर प्रतिबंध हों, जैसा कि नियमित सदस्यों पर लागू होता है	
4	नाममात्र और सहयोगी सदस्यों से एकत्रित योगदान/ गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क जो एक उपयुक्त मद के तहत 'आरक्षित' के रूप में अलग रखा जाता है क्योंकि ये वापसी योग्य नहीं हैं।	
5	"बिल्डिंग फंड", कैपिटल रिजर्व आदि सहित मुफ्त भंडार लेकिन पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर। निःशुल्क भंडार में उन सभी भंडारों/प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा जो प्रत्याशित ऋण हानियों, धोखाधड़ी आदि के कारण होने वाले नुकसान, निवेश और अन्य परिसंपत्तियों में मूल्यहास और अन्य बाहरी देनदारियों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।	
6	एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में निवेश के निर्धारित 5% से अधिक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) ⁵	
7	लाभ और हानि खाते में क्रेडिट शेष राशि, यदि कुछ है तो	
कटौती		
8	लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष राशि, यदि कुछ है तो	
9	अन्य बातों के साथ-साथ, आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) सहित सभी अमूर्त आस्तियां	

⁵ सहकारी बैंकों द्वारा निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) के निर्माण पर दिशानिर्देशों के लिए कृपया [दिनांक 1 अप्रैल 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक \(प्राथमिक \(शहरी\) सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन\)](#) देखें।

नोट:

1. टियर 1 पूंजी में शामिल परपेचुअल डेट इंस्ट्रुमेंट्स और टियर 2 पूंजी में शामिल डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट्स के जरिए जुटाई गई रकम को निवल मूल्य के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए।
2. टियर 2 पूंजी में शामिल सतत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस), भुनाने योग्य गैर-संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) और भुनाने योग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस) को निवल मूल्य के हिस्से के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
3. निवल मूल्य की गणना में कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

विवेकपूर्ण मानदंड - सी आर ए आर की संगणना के लिए जोखिम भार

I. ए. निधिकृत जोखिम आस्तियां

आस्ति मर्दे		जोखिम भार
I.	शेष राशि	
	i. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) शेष राशि	0
	ii. शहरी सहकारी बैंकों के चालू खातों में शेष राशि	20
	iii. अन्य बैंकों के चालू खातों में शेष राशि	20
II.	निवेश	
	i. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	ii. केंद्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	iii. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो (इसमें इंदिरा /किसान विकास पत्रों तथा बांड एवं डिबेंचरों में निवेश शामिल हैं जहां ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो)	2.5
	iv. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो।	2.5
	नोट: प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान या मूलधन की चुकौती की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और जो एक गैर-निष्पादित निवेश बन गया है, पर 102.5 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।	
	v. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र / राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।	22.5
	सरकारी उपक्रमों की सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां जो अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, में निवेश।	22.5
	vi. (ए) वाणिज्यिक बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों पर दावे जैसे सावधि जमा राशियां, जमा प्रमाणपत्र आदि	20
	(बी) अन्य शहरी सहकारी बैंकों पर दावे जैसे मीयादी / सावधि जमा राशियां	

	vii.	अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी बांडों में निवेश।	102.5
	viii.	सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी टियर-II पूंजी के लिए जारी बांडों में निवेश	102.5
	ix.	आस्ति पुर्नसंरचना कंपनी द्वारा जारी बांड/डिबेंचर/प्रतिभूति रसीदों में निवेश	102.5
	x.	अन्य सभी निवेश नोट: अमूर्त आस्ति और टियर I पूंजी से घटाए गए नुकसान को शून्य भार माना जाना चाहिए।	102.5
	xi.	'डब्ल्यूआई' प्रतिभूतियों में तुलन पत्रेतर (नेट) स्थिति, स्क्रिप-वार।	2.5
III.	ऋण और अग्रिम		
	i.	खरीदी तथा भुनाई गई हुंडियों तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत अन्य ऋण सुविधाओं सहित ऋण और अग्रिम	0
	ii.	किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण	0
	iii.	किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अग्रिम जो अनर्जक अग्रिम बन गया हो	100
	iv.	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया ऋण	100
	v.	स्थावर संपदा ऋण	
	(ए)	व्यक्तियों को दृष्टिबंधक आवासीय आवास ऋण	
	-	₹30.00 लाख रुपये तक (एलटीवी अनुपात* = या < 75%)	50
	-	₹30.00 लाख रुपये से अधिक (एलटीवी अनुपात = या < 75%)	75
	-	ऋण राशि की परवाह किए बिना (एलटीवी अनुपात > 75%).	100
	(बी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	100
	(सी)	अन्य किसी प्रयोजन के लिए सहकारी / ग्रुप आवासीय समितियां तथा आवासीय बोर्ड	100
	(डी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय आवास	75
	* एलटीवी अनुपात की गणना अंश में खाते में कुल बकाया के प्रतिशत (अर्थात् "मूल + उपार्जित ब्याज + ऋण से संबंधित अन्य शुल्क" बिना किसी नेटिंग के) और विभाजक में बैंक में गिरवी रखी गई आवासीय संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य के रूप में की जानी चाहिए।		
	vi.	खुदरा ऋण तथा अग्रिम	
	(ए)	वैयक्तिक ऋण सहित उपभोक्ता ऋण	125
	(बी)	स्वर्ण और चाँदी के आभूषणों पर 1 लाख रुपये तक के ऋण	50
	(सी)	शिक्षा ऋण सहित अन्य सभी ऋण तथा अग्रिम	100

	(डी)	शेयरों / डिबेंचरों को प्राथमिक / संपाश्विक जमानत पर दिए गए ऋण	127.5
vii.	<u>पट्टाकृत आस्तियां</u>		
	(ए)	किराए पर खरीद / पट्टा संबंधी गतिविधियों से जुड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिन्हें अब आस्ति वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की पात्र गतिविधियों के लिए ऋण तथा अग्रिम।	100
	(बी)	किराए पर खरीद / पट्टा संबंधी गतिविधियों से जुड़ी गैर-जमाराशिग्राही प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी-एन डी-एस आई) को ऋण तथा अग्रिम	125
viii.	डीआईसीजीसी / ईसीजीसी की परिधि में आने वाले अग्रिम		50
	नोट: 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होना चाहिए, न कि खातों में पूरे बकाया शेष राशि तक। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशि 100% जोखिम वजन वहन करेगा।		
ix.	दिनांक 07 सितंबर 2022 के परिपत्र – विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – क्रेडिट गारंटी योजनाओं द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिमों के लिए जोखिम भार में उल्लिखित शर्तों को संतुष्ट कर रहे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत सीमा तक अग्रिम। गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया बकाया राशि पर उचित जोखिम-भार लागू होगा		0
x.	मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पॉलिसियों, एनएससी, आईवीपी और केवीपी जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है, के लिए अग्रिम		0
xi.	बैंकों के कर्मचारियों को ऋण, जो पूरी तरह से सेवानिवृत्ति लाभों और प्लैट/घर के बंधक द्वारा कवर किए गए हैं		20
नोट: जोखिम भार के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उधारकर्ता के कुल निधिकृत और गैर-निधि एक्सपोजर की गणना करते समय, बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया एक्सपोजर के प्रति 'नेट-ऑफ' कर सकते हैं -			
	(ए)	नकद मार्जिन या जमा द्वारा संपाश्विक अग्रिम,	
	(बी)	उधारकर्ता के चालू या अन्य खातों में जमा शेषराशि जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं हैं और किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त हैं,	
	(सी)	किसी भी आस्ति के संबंध में जहां मूल्यहास या अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान हो गया है,	
	(डी)	डीआईसीजीसी / ईसीजीसी से प्राप्त दावों और संबंधित खातों में बकाया राशि के खिलाफ समायोजित नहीं किए जाने की स्थिति में समायोजन के लिए एक	

		अलग खाते में रखा गया है।	
IV.	अन्य आस्तियां		
	1.	परिसर फर्नीचर तथा फिक्सचर	100
	2.	अन्य आस्तियां	
		(i) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
		(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए सी आर आर शेष पर उपचित ब्याज	0
		(iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज	20
		(iv) बैंकों से प्राप्त ब्याज	20
		(v) अन्य सभी आस्तियां	100
V.	खुली स्थिति में बाजार जोखिम		
	1.	विदेशी मुद्रा खुली स्थिति पर बाजार जोखिम (केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)	100
	2.	खुली स्वर्ण स्थिति पर बाजार जोखिम	100

I. बी. तुलन पत्रेतर मदें

तुलन पत्र से इतर मदों से जुड़े ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार पहले तुलन पत्र से इतर मदों में से प्रत्येक की अंकित राशि को 'क्रेडिट रूपांतरण कारकों' से गुणा करके की जानी चाहिए। उसके बाद उसे ऊपर दिए गए अनुसार संबंधित प्रति-पक्षकार पर लागू भारों से पुनः गुणा किया जाए।

क्र सं	लिखते	क्रेडिट रूपांतरण फैक्टर (%)
1	वित्तीय गारंटी/प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापन उदा. ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में सेवा करने वाले स्टैंड एल / सी सहित) और स्वीकृति (स्वीकृति के स्वरूप के साथ परांकन सहित)	100
2	निष्पादन गारंटी/संबंधित आकस्मिक मर्दे (उदाहरण के लिए विशेष लेनदेन से संबंधित वारंटी और स्टैंडबाय एल/सी)	50
3	अल्पकालिक स्वपरिसमापक व्यापार से जुड़ी आकस्मिकताएं (जैसे अंतर्निहित पोतलदान द्वारा संपार्श्विकृत दस्तावेजी क्रेडिट)	20
4	विक्री तथा पुनर्खरीद करार तथा अवलंब के साथ आस्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक पर हो।	100
5	फॉरवर्ड एसेट खरीद, फॉरवर्ड डिपॉजिट और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शम्स और प्रतिभूतियाँ, जो कुछ ड्रॉ डाउन के साथ प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।	100
6	नोट जारी करने की सुविधाएं तथा उनसे जुड़ी हामीदारी सुविधाएं	50
7	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली अन्य वचनबद्धताएं (जैसे औपचारिक वैकल्पिक सुविधाएं तथा क्रेडिट लाइन्स)	50
8	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली समरूपी वचनबद्धताएं अथवा जिन्हें किसी भी समय बेशर्त निरस्त किया जा सकता हो	0
9	(i) अन्य बैंकों की प्रति गारंटियों पर बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटियां	20
	(ii) बैंकों द्वारा स्वीकृत दस्तावेजी हुंडियों की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा भुनाई गई हुंडियां जिन्हें किसी अन्य बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, को किसी बैंक पर एक निधिकृत दावा माना जाएगा।	20
	नोट: इन मामलों में बैंकों को पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि वास्तव में जोखिम सीमा अन्य बैंक पर है। एलसी के तहत खरीदे गए/भुनाए गए/परक्रामित किए गए बिल (जहां लाभार्थी को भुगतान 'रिजर्व के तहत' नहीं किया गया है) को एलसी जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा, न कि उधारकर्ता पर। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी परक्रामणों को जोखिम भार सौंपा जाएगा जो कि पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए आम तौर पर अंतर-बैंक एक्सपोजर पर लागू होता है। परक्रामणों के मामले में 'रिजर्व के तहत' एक्सपोजर को उधारकर्ता के ऊपर के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार जोखिम भार सौंपा जाना चाहिए।	
10	मूल परिपक्वता* के कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएँ -	
	14 कैलेंडर दिवसों से कम	0
	14 दिवसों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	2

प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष अथवा उसके भाग के लिए	3
* यदि इस अनुबंध के पैरा ॥(3) में विनिर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय जाल संविदाएं लागू हैं, इस अनुबंध के पैरा ॥ (1.3)(a) में दिए गए प्रावधान के अनुसार विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए क्रेडिट रूपांतरण फैक्टर (सीसीएफ़) और विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए "शून्य" प्रतिशत का सीसीएफ़ जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है, लागू नहीं होगा	
नोट: जोखिम भार के समनुदेशन के प्रयोजन के लिए किसी उधारकर्ता के कुल निधिकृत और गैर-निधि एक्सपोजर की गणना करते समय, बैंक चालू या अन्य खातों में उधारकर्ता क्रेडिट शेष के कुल बकाया एक्सपोजर के प्रति 'नेट-ऑफ़' करें जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं हैं और किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त है। ऊपर बताए अनुसार परिवर्तन कारक लागू करने के बाद, समायोजित तुलन पत्रेतर मूल्य को निर्धारित किए गए अनुसार फिर से संबंधित प्रतिपक्ष पर आरोप्य भार से गुणा किया जाएगा।	

टिप्पणी: वर्तमान में, शहरी सहकारी बैंक अधिकतर तुलन पत्रेतर लेनदेन नहीं कर रहे हैं। तथापि, उनके विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तुलन पत्रेतर मदों के प्रति जोखिम-भार दर्शाए गए हैं जिन्हें भविष्य में शहरी सहकारी बैंक व्यवहार में लाएं।

I. अतिरिक्त जोखिम भार (केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)

1. विदेशी विनिमय तथा ब्याज दर संबंधित संविदाएं

1.1 विदेशी विनिमय संविदाओं में निम्नलिखित शामिल है:

- (ए) क्रॉस करेंसी स्वैप
- (बी) फॉरवर्ड विदेशी विनिमय संविदा
- (सी) मुद्रा फ्यूचर्स
- (डी) खरीदे गए मुद्रा ऑप्शन
- (ई) समान प्रकार की अन्य संविदाएं

1.2 ब्याज दर संबंधी संविदा में निम्नलिखित शामिल है:

- (ए) एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप
- (बी) बेसिस स्वैप
- (सी) फॉरवर्ड दर करार
- (डी) ब्याज दर फ्यूचर्स
- (ई) खरीदे गए ब्याज दर ऑप्शन
- (एफ) समान स्वरूप की अन्य संविदाएँ

- 1.3 जैसा कि अन्य तुलनपत्रेतर मदों के मामले में किया जाता है, नीचे निर्धारित की गई दो-स्तरीय गणना का प्रयोग किया जाएगा:
- (ए) चरण 1 – प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशि को नीचे दिए गए परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक	
	ब्याज दर संविदा	विदेशी विनिमय संविदा
एक वर्ष से कम	0.5%	2%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1.0%	5% (i.e. 2% + 3%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0%	3%

इस अनुबंध के पैराग्राफ 11.3 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध लागू होते हैं, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परिवर्तन कारक लागू होंगे⁶:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक	
	ब्याज दर संविदा	विदेशी विनिमय संविदा
एक वर्ष से कम	0.35%	1.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	0.75%	3.75% (i.e. 1.5% + 2.25%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	0.75%	2.25%

(बी) चरण 2 – जैसा कि ऊपर 1 - ए में दिया गया है, इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

टिप्पणी: वर्तमान में, अधिकतर शहरी सहकारी बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं कर रहे हैं। तथापि, जिन शहरी सहकारी बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी का लाइसेंस दिया गया है वे ऊपर उल्लिखित लेनदेन कर सकते हैं। किसी विशेष लेनदेन के लिए जोखिम भार निर्धारित करने में किसी अनिश्चितता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

25. कॉर्पोरेट बांड में रेपो

शहरी सहकारी बैंक जो रेपो लेनदेन में निधियां उधार देते हैं, उन्हें ऐसे ऋण/निवेश एक्सपोजर पर यथा लागू जोखिम भार के अनुरूप प्रतिपक्ष ऋण जोखिम प्रदान करना आवश्यक है।

⁶ फॉरवर्ड विदेशी विनिमय संविदाओं और अन्य समान संविदाओं जिसमें काल्पनिक मूलधन नकदी प्रवाह के बराबर है, के लिए नेटिंग प्रतिपक्ष को क्रेडिट एक्सपोजर की गणना के प्रयोजनों हेतु मूल क्रेडिट रूपांतरण कारक (अर्थात्, द्विपक्षीय नेटिंग के प्रभाव पर विचार किए बिना) को सांकेतिक मूलधन पर लागू किया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर देय होने वाली शुद्ध प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी स्थिति में उपरोक्त घटाए गए कारकों को निवल काल्पनिक राशियों पर लागू नहीं किया जाए।

3. द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध की मान्यता की आवश्यकता:

(ए) शहरी सहकारी बैंक निवल लेन-देन कर सकते हैं, जिसके तहत यूसीबी और उसके प्रतिपक्ष के बीच किसी दिए गए मूल्य की तारीख पर किसी मुद्रा को वितरित करने का कोई दायित्व, कानूनी रूप से पिछले सकल दायित्व के लिए एक एकल राशि को प्रतिस्थापित करते हुए स्वचालित रूप से उसी मुद्रा और मूल्य तिथि के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है।

(बी) शहरी सहकारी बैंक निवल लेन-देन भी कर सकते हैं बशर्ते वे (ए) में शामिल नहीं किए गए द्विपक्षीय नेटिंग के किसी भी कानूनी रूप से वैध हो, जिसमें अन्य प्रकार के नवप्रवर्तन भी शामिल हैं।

(सी) दोनों मामलों (ए) और (बी) में शहरी सहकारी बैंक को यह संतुष्ट करना होगा कि उसके पास:

- (i) प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग अनुबंध या समझौता जो एक एकल विधिक दायित्व बनाता है, जिसमें सभी शामिल लेनदेन शामिल हैं, जैसे कि शहरी सहकारी बैंकों के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या प्रतिपक्षकार द्वारा चूक, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह की परिस्थितियों में से किसी भी कारणवश कार्य-निष्पादन करने में विफल रहने की स्थिति में शामिल व्यक्तिगत लेनदेन के धनात्मक और ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों के केवल निवल योग का भुगतान करने का दायित्व होगा।

(25) लिखित और तर्कसंगत कानूनी राय है कि, कानूनी चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतों और प्रशासनिक प्राधिकरणों को इस तरह की शहरी सहकारी बैंकों का एक्सपोज़र ऐसी निवल राशि के तहत मिलेगा:

- अधिकार क्षेत्र का कानून जिसमें प्रतिपक्षकार चार्टर्ड है और, यदि प्रतिपक्षकार की विदेशी शाखा शामिल है, तो उस अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत भी जिसमें शाखा स्थित है;
- व्यक्तिगत लेनदेन को नियंत्रित करने वाला कानून; और
- नेटिंग को प्रभावित करने के लिए आवश्यक किसी भी अनुबंध या समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून।

(25) प्रासंगिक कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में नेटिंग व्यवस्था की कानूनी विशेषताओं की समीक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं।

(डी) इन दिशानिर्देशों के तहत पूंजी आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य से नेटिंग के लिए विनिर्मग खंड (वॉकअवे क्लॉज) वाले अनुबंध पात्र नहीं होंगे। विनिर्मग खंड (वॉकअवे क्लॉज) एक ऐसा प्रावधान है जो एक गैर-चूककर्ता प्रतिपक्षकार को यह अनुमति देता है कि वे चूककर्ता की आस्ति के लिए, केवल सीमित भुगतान या कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है, भले ही चूककर्ता एक निवल लेनदार हो।

अधिमानी शेयर जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश

ए. स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) टियर-1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं

शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्वानुमोदन से अपने सदस्यों या उनके संचालन के क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) जारी करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंक आवेदन पत्र, विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन के साथ अनुमति मांगते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं। पीएनसीपीएस के माध्यम से जुटाई गई राशि को टियर-1 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

2. जारी करने की शर्तें

2.1 सीमाएं

बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई) के साथ पीएनसीपीएस और स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) की बकाया राशि किसी भी समय कुल टीयर-1 पूंजी के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त सीमा गुडविल और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की कटौती के बाद टियर-1 पूंजी की राशि पर आधारित होगी, लेकिन यह सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश, यदि कोई हो, की कटौती के पहले होगी। 35 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक जारी पीएनसीपीएस, टियर-1 पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन, ऊपरी टियर-1 पूंजी के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे।

2.2 राशि

जुटाई जाने वाली पीएनसीपीएस की राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी।

2.3 परिपक्वता

पीएनसीपीएस स्थायी होगा।

2.4 ऑप्शन्स

अ. पीएनसीपीएस को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किया जाएगा।

आ. निम्नलिखित शर्तों के अधीन, पीएनसीपीएस कॉल ऑप्शन के साथ जारी किया जा सकता है:

- i. लिखत के कम से कम दस वर्ष पूरे होने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा
- ii. कॉल ऑप्शन का प्रयोग केवल विनियमन विभाग (डीओआर), आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल विकल्प के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 तुलन-पत्र में वर्गीकरण

इन उपकरणों को 'पूँजी' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दिखाया जाएगा।

25.04 लाभांश

निवेशकों को देय लाभांश की दर बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में एक निश्चित दर या एक फ्लोटिंग दर होगी।

2.7 लाभांश का भुगतान

2.7.1 बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से वितरण योग्य अधिशेष की उपलब्धता के अधीन होगा, और यदि:

- i. सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है
- ii. इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे या शेष नहीं रह जाता है

25. पिछले वर्ष के अंत में तुलन पत्र कोई संचित हानि नहीं दिखाता है

2.7.2 लाभांश संचयी नहीं होगा, अर्थात् एक वर्ष में छूटे हुए लाभांश का भुगतान बाद के वर्षों में नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो। जब लाभांश का भुगतान निर्धारित दर से कम दर पर किया जाता है, तो भविष्य के वर्षों में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो।

2.7.3 लाभांश का भुगतान न करने/विनिर्दिष्ट दर से कम लाभांश के भुगतान के सभी मामलों की सूचना जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक द्वारा पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को दी जानी चाहिए।

2.8 दावे की वरिष्ठता

पीएनसीपीएस में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से ऊपर होंगे और अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीन होंगे।

2.9 मतदान अधिकार

पीएनसीपीएस में निवेशक किसी भी वोटिंग अधिकार के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.10 छूट

पूँजी पर्याप्तता संबंधी उद्देश्यों के लिए पीएनसीपीएस प्रगतिशील छूट के अधीन नहीं होंगे क्योंकि ये स्थायी रूप के हैं।

2.11 अन्य शर्तें

2.11.1 पीएनसीपीएस पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होंगे।

2.11.2 शहरी सहकारी बैंक पीएनसीपीएस जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्ते कि वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के विरोध में न हों। विवाद के किसी भी घटना को पूंजी में शामिल करने के लिए लिखत की पात्रता की पुष्टि की मांग के लिए डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.12 आरक्षित आवश्यकताओं का अनुपालन

2.12.1 पीएनसीपीएस जारी करके बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए शुद्ध मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं माना जाएगा और इस तरह, इसके लिए सीआरआर / एसएलआर की आवश्यकता नहीं होगी।

2.12.2 हालांकि, सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और पीएनसीपीएस के लंबित आवंटन को शुद्ध मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के उद्देश्य से देयता के रूप में माना जाएगा और तदनुसार, यह आरक्षित आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा। पूंजीगत निधियों की गणना के लिए ऐसी राशियों की गणना नहीं की जाएगी।

2.13 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

पीएनसीपीएस जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को पीएनसीपीएस जारी होने के तुरंत बाद, प्रॉस्पेक्टस / प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ जारी करने के नियम और शर्तों सहित जुटाई गई पूंजी का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

2.14 पीएनसीपीएस में निवेश और पीएनसीपीएस की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के पीएनसीपीएस या अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस में निवेश नहीं करेंगे और उनके या अन्य बैंकों द्वारा जारी पीएनसीपीएस की जमानत पर अग्रिम नहीं देंगे।

बी. अपर टियर-II पूंजी में शामिल करने के लिए स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)

शहरी सहकारी बैंकों को अपने सदस्यों या अपने संचालन क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति से स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) जारी करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंक, विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन के साथ अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं। ये तीन लिखत, जिन्हें मिलकर टियर-II वरीयता शेयरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, ऊपरी टियर-II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

2. जारी करने की शर्तें

2.1 सीमाएं

टियर-II पूंजी के अन्य घटकों के साथ इन लिखतों की बकाया राशि किसी भी समय टियर-I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त सीमा गुडविल और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की कटौती के बाद टियर-I पूंजी की राशि पर आधारित होगी, लेकिन सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश की कटौती, यदि कोई हो, से पहले होगी।

2.2 राशि

जुटाई जाने वाली राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जा सकती है।

2.3 परिपक्वता

टियर-II वरीयता शेयर या तो स्थायी (पीसीपीएस) या दिनांकित (आरएनसीपीएस और आरसीपीएस) लिखत हो सकते हैं जिनकी न्यूनतम परिपक्वता 10 वर्ष है।

2.4 ऑप्शन

2.4.1 ये लिखत 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किए जाएंगे।

2.4.2 इन लिखतों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन कॉल ऑप्शन के साथ जारी किया जा सकता है:

ए) लिखत के कम से कम दस वर्ष पूरा होने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा

बी) कॉल ऑप्शन का प्रयोग केवल डीओआर, आरबीआई के पूर्वानुमोदन से ही किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय डीओआर, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल ऑप्शन के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 तुलन पत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को 'उधार' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा।

25.04 कूपन

निवेशकों को देय कूपन या तो निश्चित दर पर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में फ्लोटिंग दर पर हो सकता है।

2.7 कूपन का भुगतान

2.7.1 इन लिखतों पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाएगा और तदनुसार पी एंड एल खाते में डेबिट किया जाएगा। हालाँकि, यह तभी देय होगा जब:

ए) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है

बी) इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे नहीं गिरता है या नीचे नहीं रहता है।

सी) बैंक को शुद्ध घाटा नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, शुद्ध हानि को या तो (i) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि या (ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।

2.7.2 पीसीपीएस और आरसीपीएस के मामले में, अदत्त/आंशिक रूप से अदत्त कूपन को देयता के रूप में माना जाएगा। देय ब्याज राशि और शेष बकाया राशि को बाद के वर्षों में भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।

2.7.3 आरएनसीपीएस के मामले में, आस्थगित कूपन का भुगतान भविष्य के वर्षों में नहीं किया जाएगा, भले ही पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो। तथापि, बैंक निर्दिष्ट दर से कम दर पर कूपन का भुगतान कर सकता है, यदि पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर का स्तर नियामक न्यूनतम के अनुरूप हो, बशर्ते कि यह पैरा 2.7.1 के अनुरूप हो।

2.7.4 ब्याज का भुगतान न करने या निर्दिष्ट दर से कम दर पर ब्याज के भुगतान के सभी मामलों को जारी करने वाले यूसीबी द्वारा डीओएस, आरबीआई के संबंधित आरओ को सूचित किया जाना चाहिए।

2.8 मोचनीय टियर-II अधिमानी शेयरों का मोचन / चुकौती

धारक की पहल पर आरएनसीपीएस और आरसीपीएस को भुनाया नहीं जा सकेगा। परिपक्वता पर इन लिखतों का मोचन केवल डीओआर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर किया जाएगा:

- ए) बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है
- बी) इस तरह के भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर न्यूनतम नियामक आवश्यकता से नीचे गिरता नहीं है या नीचे नहीं रहता है।

2.9 दावे की वरिष्ठता

इन लिखतों में निवेशकों के दावे टियर-I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से ऊपर होंगे और निचले टियर-II पूंजी और जमाकर्ताओं सहित अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ होंगे। अपर टियर-II पूंजी में शामिल विभिन्न लिखतों के निवेशकों के बीच, दावे एक-दूसरे के समान होंगे।

2.10 मतदान अधिकार

टियर-II अधिमानी शेयरों में निवेशकों को कोई भी वोटिंग अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

2.11 सीआरएआर की गणना के उद्देश्य से प्रगतिशील छूट

मोचनीय अधिमानी शेयरों (संचयी और गैर-संचयी दोनों) को उनके कार्यकाल के पिछले पांच वर्षों में पूंजी पर्याप्तता संबंधी उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार प्रगतिशील छूट के अधीन रखा जाएगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता	छूट की दर (%)
एक साल से कम	100
एक साल और उससे अधिक लेकिन दो साल से कम	80
दो साल और उससे अधिक लेकिन तीन साल से कम	60
तीन साल और उससे अधिक लेकिन चार साल से कम	40
चार साल और अधिक लेकिन पाँच साल से कम	20

2.12 अन्य शर्तें

2.12.1 टियर II वरीयता शेयर पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होंगे।

2.12.2 शहरी सहकारी बैंक टियर II वरीयता शेयरों को जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्ते कि वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्तों के विरोध में न हों। टियर II पूंजी में शामिल करने के लिए लिखत की पात्रता की पुष्टि संबंध में टकराव की किसी भी घटना को डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.13 आरक्षित आवश्यकताओं का अनुपालन

2.13.1 इन लिखतों को जारी करने के जारी करने वाले बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में माना जाएगा और, इस तरह, यह सीआरआर / एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा।

2.13.2 सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और लंबित आबंटन को आबंटन प्रक्रिया समाप्त होने तक पूंजीगत निधि की गणना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

2.14 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

इन लिखतों को जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, जारी किए जाने के तुरंत बाद, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ जारी करने के नियम और शर्तों सहित जुटाई गई पूंजी का विवरण होगा।

2.15 टियर-II अधिमानी शेयरों में निवेश और टियर-II अधिमानी शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के टियर-II वरीयता शेयर या अन्य बैंकों के टियर-II वरीयता शेयरों को खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए टियर-II वरीयता शेयरों में निवेश नहीं करेंगे और उनके या अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए टियर-II वरीयता शेयरों की जमानत पर अग्रिम नहीं देंगे।

ऋण पूंजी लिखत जारी करने संबंधी दिशानिर्देश

ए. टियर-1 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)

यूसीबी, आरबीआई के पूर्वानुमोदन से, अपने सदस्यों या अपने परिचालन क्षेत्र में रहनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को बांड या डिबेंचर के रूप में स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) जारी कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंक अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन सहित भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं। जमाकर्ताओं की सहमति से शहरी सहकारी बैंक के पुनरुद्धार योजना/वित्तीय पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में संस्थागत जमाकर्ताओं की मौजूदा जमाराशियों के एक हिस्से के रूपांतरण के माध्यम से भी पीडीआई जारी किया जा सकता है। पीडीआई के माध्यम से जुटाई गई राशियों को टियर-1 पूंजी के रूप में शामिल करने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

2. निर्गम की शर्तें

2.1 सीमा

- i. टियर-1 पूंजी के लिए गणना की गई पीडीआई की राशि कुल टियर-1 पूंजी⁷ के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)⁸ को भी उपरोक्त 15 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में शामिल किया जाएगा और अब तक की तरह पूंजीगत उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा। उपरोक्त सीमा से अधिक पीडीआई टियर-1 पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन टियर-1 पूंजी के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होगा। हालांकि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे।
- ii. यदि पीडीआई शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार योजना/वित्तीय पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है, तो पीडीआई के लिए उपरोक्त 15 प्रतिशत की सीमा को आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है।
- iii. पात्र राशि की गणना, सद्भाव, डीटीए और अन्य अमूर्त आस्ति की कटौती के बाद, पिछले वर्ष के 31 मार्च को टियर-1 पूंजी की राशि के संदर्भ में की जाएगी, लेकिन सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश की कटौती से पहले, यदि कोई हो।

2.2 राशि

जुटाई जाने वाली पीडीआई की राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जा सकती है।

⁷ अनुबंध-3 के पैरा 2.1 का संदर्भ लिया जाता है जिसके अनुसार पीएनसीपीएस और स्थायी ऋण लिखतों (पीडीआई) की बकाया राशि के साथ-साथ बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई) किसी भी समय कुल टियर-1 पूंजी के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

⁸ शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन पर [दिनांक 23 जनवरी 2009 के परिपत्र यूसीबी.पीसीबी.परि.सं.39/09.16.900/08-09](#) के अनुसार जारी किया गया।

2.3 परिपक्वता

ये लिखत स्थायी स्वरूप के होंगे।

2.4 ऑप्शन्स

2.4.1 पीडीआई को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप-अप' विकल्प के साथ जारी नहीं किया जाएगा।

2.4.2 हालांकि, पीडीआई को कॉल ऑप्शन के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जा सकता है:

ए. लिखत के कम से कम दस वर्ष पूरा करने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा

बी. कॉल ऑप्शन का प्रयोग केवल विनियमन विभाग (डीओआर), आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल ऑप्शन के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 वर्गीकरण

पीडीआई को 'उधार' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन-पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा।

25.04 ब्याज दर

निवेशकों को देय ब्याज या तो एक निश्चित दर पर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में फ्लोटिंग दर पर हो सकता है।

2.7 लॉक-इन-खंड

2.7.1 पीडीआई लॉक-इन-खंड के अधीन होगा, जिसके अनुसार जारीकर्ता बैंक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि

- i. बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या
- ii. इस तरह के भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता के नीचे गिर जाता है या रह जाता है;

2.7.2 हालांकि, ऐसे भुगतान के प्रभाव से निवल हानि होती है या निवल हानि में वृद्धि होती है तो शहरी सहकारी बैंक डीओआर, आरबीआई की पूर्वानुमति से ब्याज का भुगतान कर सकता है, बशर्तकि सीआरएआर नियामक मानदंड को पूरा करता हो। इस उद्देश्य के लिए, निवल हानि को या तो (i) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि या (ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।

2.7.3 ब्याज संचयी नहीं होगा।

2.7.4 लॉक-इन-खंड के लागू संबंधी सभी मामलों को जारी करने वाले यूसीबी द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) के डीओएस, आरबीआई को सूचित किया जाना चाहिए।

2.8 दावे की वरिष्ठता

पीडीआई के निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों और पीएनसीपीएस में निवेशकों के दावों से ऊपर होंगे लेकिन अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ होंगे। पीडीआई और बकाया नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखतों (आईपीडीआई⁹) में निवेशकों के बीच, दावे एक-दूसरे के समान होंगे।

2.9 छूट

पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए पीडीआई को प्रगतिशील छूट के अधीन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये स्थायी प्रकार के हैं।

2.10 अन्य शर्तें

2.10.1 पीडीआई पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होगा।

2.10.2 शहरी सहकारी बैंक पीडीआई जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्ते कि वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के विरोध में न हों। भिन्नता की किसी भी घटना को टियर-1 पूंजी में शामिल करने हेतु लिखत की पात्रता की पुष्टि की मांग करने के लिए डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.11 आरक्षित संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन

यूसीबी द्वारा पीडीआई के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं माना जाएगा और, इस प्रकार, सीआरआर/एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं करेगा। हालांकि, सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और पीडीआई के लंबित निर्गम को निवल मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के उद्देश्य से देयता के रूप में माना जाएगा और तदनुसार, यह आरक्षित आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा। पीडीआई जारी करने के लिए लंबित ऐसी राशि की गणना पूंजीगत निधियों की गणना के लिए नहीं की जाएगी।

2.12 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

पीडीआई जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, विवरणिका / प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ जारी करने के नियमों और शर्तों सहित, जारी की गई राशि का विवरण देते हुए, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के डीओएस, आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

2.13 पीडीआई में निवेश और पीडीआई की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपनी पीडीआई या अन्य बैंकों के पीडीआई खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों द्वारा जारी पीडीआई में निवेश नहीं करेंगे (सिवाय जब पीडीआई को यूसीबी की पुनरुद्धार योजना के एक भाग के रूप में जारी किया जाता है जैसा कि ऊपर

⁹ 'शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन' पर आईपीडीआई के संदर्भ में जारी [दिनांक 23 जनवरी 2009 का परिपत्र संख्या यूबीडी.पीसीबी.परि.सं. 39/09.16.900/08-09](#)।

पैरा 1 में उल्लेख किया गया है) और उनके या अन्य बैंकों द्वारा जारी पीडीआई की प्रतिभूति के बदले अग्रिम नहीं देंगे।

बी. लोअर टियर-II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लंबी अवधि के अधीनस्थ बॉन्ड (एलटीएसबी)

शहरी सहकारी बैंकों को अपने सदस्यों या उनके संचालन क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को एलटीएसबी जारी करने की अनुमति है। एलटीएसबी के माध्यम से जुटाई गई राशि लोअर टियर-II पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र होने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेगी।

2. निर्गम की शर्तें

2.1 पात्रता

2.1.1 अपने नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों को इस संबंध में आरबीआई की विशिष्ट अनुमति के बिना एलटीएसबी जारी करने की अनुमति है:

- i. सीआरएआर यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर से कम से कम एक प्रतिशत अंक ऊपर होगा।
- ii. सकल एनपीए 7% से कम और निवल एनपीए 3% से अधिक नहीं हो।
- iii. पिछले चार वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए निवल लाभ दर्ज किया हो बशर्ते कि बैंक को तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में निवल हानि न हुई हो।
- iv. पिछले वर्ष के दौरान सीआरएआर/एसएलआर के रखरखाव में कोई चूक नहीं हुई हो।
- v. बैंक के बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशक हो।
- vi. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) पूरी तरह से लागू हो।
- vii. एलटीएसबी जारी करने वाले वर्ष से पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो।

2.1.2 उपरोक्त मानदंडों का पालन नहीं करनेवाले बैंकों के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति आवश्यक है। शहरी सहकारी बैंक अनुमति मांगते हुए विवरणिका/प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन के साथ आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि प्रस्ताव दस्तावेज की शर्तें इन निर्देशों के अनुपालन में हैं।

2.2 सीमा

टियर-II पूंजी के रूप में गणना के लिए पात्र एलटीएसबी की राशि कुल टियर-I पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। बकाया दीर्घावधि (अधीनस्थ) जमाराशियों (एलटीडी) को भी उपरोक्त 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा में शामिल किया जाएगा और अब तक की तरह पूंजीगत उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा। टियर-II पूंजी के अन्य घटकों के साथ ये लिखत टियर-I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। उपरोक्त सीमा सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश की कटौती यदि कोई हो, से पहले, लेकिन सद्भाव और अन्य अमूर्त आस्तियों की कटौती के बाद टियर-I पूंजी की राशि पर आधारित होगी।

2.3 राशि

जुटाई जाने वाली राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा तय की जा सकती है।

2.4 परिपक्वता

एलटीएसबी दस साल की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया जाएगा।

2.5 ऑप्शन

2.5.1 एलटीएसबी को 'पुट ऑप्शन' या 'स्टेप-अप' ऑप्शन के साथ जारी नहीं किया जाएगा।

2.5.2 हालांकि, एलटीएसबी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन कॉल ऑप्शन के साथ जारी किया जा सकता है:

ए) कम से कम दस वर्षों तक चलने के बाद लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति है; तथा

बी) कॉल विकल्प का प्रयोग केवल विनियमन विभाग (डीओआर), आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, आरबीआई अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल ऑप्शन के प्रयोग के समय और कॉल विकल्प के प्रयोग के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

25.04 तुलन-पत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को 'उधार' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तुलन पत्र में अलग से दर्शाया जाएगा।

25.04 ब्याज दर

एलटीएसबी ब्याज की एक निश्चित दर या बाजार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में ब्याज की एक फ्लोटिंग दर वहन कर सकता है।

2.8 मोचन / चुकौती

परिपक्वता पर मोचन / चुकौती केवल डीओआर, आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

2.9 दावों की वरिष्ठता

एलटीएसबी जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों के दावों के अधीन होगा, लेकिन टीयर-1 पूंजी में शामिल होने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकों और वरीयता शेयरों के धारकों (टियर 1 और टियर 2 दोनों) के दावों से वरिष्ठ होगा। लोअर टियर-2 पूंजी (यानी बकाया एलटीडी, यदि कोई हो) में शामिल उपकरणों के निवेशकों में, दावे एक दूसरे के साथ समान होंगे।

2.10 प्रगतिशील छूट

इन बांडों को उनके कार्यकाल के अंतिम पांच वर्षों में पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए निम्नानुसार प्रगतिशील छूट के अधीन रखा जाएगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता	छूट का दर (%)
एक साल से कम	100
एक साल और उससे अधिक लेकिन 2 साल से कम	80
दो साल और उससे अधिक लेकिन तीन साल से कम	60
तीन साल और उससे अधिक लेकिन चार साल से कम	40
चार साल और उससे अधिक लेकिन पाँच साल से कम	20

2.11 अन्य शर्तें

2.11.1 एलटीएसबी पूरी तरह से चुकता, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होगा।

2.11.2 शहरी सहकारी बैंक एलटीएसबी जारी करने के संबंध में अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, का भी पालन करेंगे, बशर्ते वे इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के विरोध में न हों। टियर-II पूंजी में शामिल करने हेतु लिखत की पात्रता की पुष्टि की मांग करने के लिए भिन्नता की किसी भी घटना को डीओआर, आरबीआई के ध्यान में लाया जाए।

2.12 आरक्षित निधि की आवश्यकता

एलटीएसबी के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि की आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देनदारियों की गणना के लिए देयता के रूप में माना जाएगा और इस तरह, यह सीआरआर / एसएलआर आवश्यकताओं को आकर्षित करेगा। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सदस्यों/संभावित निवेशकों से एकत्र की गई राशि और उसके द्वारा एलटीएसबी के लंबित निर्गम द्वारा धारित राशि को पूंजी निधियों की गणना के लिए माना जाएगा।

2.13 रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

एलटीएसबी जारी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, जारी होने के तुरंत बाद विवरणिका / प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ नियम और शर्तों सहित, जुटाई गई राशि का विवरण देते हुए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के डीओएस, आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

2.14 एलटीएसबी में निवेश और एलटीएसबी की खरीद के लिए अग्रिम

शहरी सहकारी बैंक किसी भी व्यक्ति को अपने एलटीएसबी या अन्य बैंकों के एलटीएसबी खरीदने के लिए कोई ऋण या अग्रिम नहीं देंगे। शहरी सहकारी बैंक अन्य बैंकों द्वारा जारी एलटीएसबी में निवेश नहीं करेंगे और न ही वे अपने या अन्य बैंकों द्वारा जारी एलटीएसबी की प्रतिभूति पर अग्रिम प्रदान करेंगे।

(विवरणी के लिए प्रोफार्मा)

पूंजीगत निधियों, जोखिम आस्तियों / ऋण जोखिमों और जोखिम आस्ति अनुपात का विवरण

1. भाग ए – पूंजीगत निधि और जोखिम आस्ति अनुपात

(₹ लाख में)

I	पूंजीगत निधि		
ए	टियर I पूंजीगत घटक		
	(ए) चुकता पूंजी		
	कम करें – अमूर्त आस्ति और हानि		
	निवल चुकता पूंजी		
	(बी) आरक्षित और अधिशेष राशि		
	1. सांविधिक आरक्षित राशि		
	2. पूंजीगत आरक्षित राशि (नीचे नोट देखें)		
	25. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि (इस मास्टर परिपत्र की पैरा 4.1(x) का संदर्भ लें)		
	4. अन्य आरक्षित राशि (निर्दिष्ट किया जाना है)		
	5. लाभ और हानि खाते में अधिशेष*		
	कुल आरक्षित और अधिशेष		
	कुल पूंजीगत निधि (ए + बी)		
नोट: आस्ति की बिक्री पर अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले और एक अलग खाते में रखे गए पूंजीगत भंडार को शामिल किया जाएगा			
सामान्य/अस्थायी प्रावधान और ऋण हानियों और अन्य आस्ति हानियों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान या किसी आस्ति के मूल्य में कमी को टियर I पूंजीगत निधि के रूप में नहीं माना जाएगा।			
* पी एंड एल खाते में अधिशेष के मामले में [आवंटित नहीं किया गया और एजीएम द्वारा अनुमोदित किया जाना है] निम्नलिखित धारणा बनाई जा सकती है:			
(ए) चालू वर्ष के अधिशेष को राष्ट्रीय स्तर पर बीओडी द्वारा अनुशंसित सीमा तक विभिन्न भंडारों/निधि के बीच आवंटित और व्यवसाय में बनाए रखा जा सकता है।			
(बी) जहां बीओडी ने अधिशेष के वितरण का फैसला नहीं किया है, यह पिछले 3 वर्षों के औसत के आधार पर अनुमानित रूप से निकाला जा सकता है।			
बी	टियर II पूंजी घटक		
(i)	अघोषित आरक्षित राशि		
(ii)	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित राशि (इस मास्टर परिपत्र की पैरा 4.1(x) का संदर्भ लें)		
(iii)	सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित राशि #		
(iv)	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित राशि / निधि		
(v)	हाइब्रिड ऋण पूंजी लिखत		
(vi)	अधीनस्थ ऋण		
	कुल		

	I का कुल (ए + बी)		
# मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान शामिल है (प्रतिबंधों के अधीन)			
II	जोखिम आस्ति		
(ए)	वित्त पोषित जोखिम आस्तियों अर्थात तुलन पत्र मदों पर का समायोजित मूल्य (भाग 'बी' के साथ मिलान करने के लिए)		
(बी)	गैर-वित्त पोषित और तुलनपत्रेतर मदों का समायोजित मूल्य		
	(भाग 'सी' के साथ मिलान करने के लिए)		
I	कुल जोखिम-भारित आस्ति (ए + बी)		
III	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी निधियों का प्रतिशत I / II x 100		

2. भाग बी – जोखिम भारित आस्तियां अर्थात तुलन-पत्र पर मदें

	बही मूल्य	जोखिम भार	जोखिम समायोजित मूल्य
1	2	3	4
I. नकद और बैंक शेष राशि			
ए) हाथ में नकद (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)			
बी) भारत में बैंकों के साथ शेष राशि			
i) आरबीआई के साथ शेष राशि			
ii) बैंकों के साथ शेष राशि			
1. चालू खाता (भारत में और भारत के बाहर)			
2. अन्य खाते (भारत में और भारत के बाहर)			
3. अन्य प्राथमिक सहकारी बैंकों के साथ चालू खाता शेष राशि			
II. मांग और अल्प सूचना पर देय राशि			
III. निवेश			
ए) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां *			
बी) अन्य (प्रदान किया गया मूल्यहास का निवल)			
IV. अग्रिम **			
ऋण और अग्रिम, खरीदे गए और छूट वाले बिल और अन्य ऋण सुविधाएं			
ए) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत दावा			
बी) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे			
सी) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे			

(₹. लाख में)

डी) राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों पर दावा			
ई) अन्य			
नोट: 1. नेटिंग केवल जमाराशियों में नकद मार्जिन द्वारा संपार्श्विक किए गए अग्रिमों के लिए और उन आस्तियों के संबंध में किया जा सकता है जहां अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए मूल्यहास के प्रावधान किए गए हैं। 2. सहायक कंपनियों और अमूर्त आस्तियों में इक्विटी निवेश, और टियर / पूंजी से घटाए गए नुकसान को शून्य भार सौंपा जाना चाहिए			
V. परिसर (प्रदान किए गए मूल्यहास का निवल)			
VI. फर्नीचर और फिक्स्चर (प्रदान किए गए मूल्यहास का निवल)			
VII. अन्य आस्तियां (शाखा समायोजन, गैर-बैंकिंग आस्तियों आदि सहित)			
कुल			
* सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान, यदि कोई हो, को फुटनोट के माध्यम से दर्शाया किया जा सकता है। ** अशोध और संदिग्ध ऋणों और मानक आस्तियों के लिए धारित प्रावधान, या तो सामान्य या विशिष्ट, फुटनोट के माध्यम से दर्शाए जा सकते हैं।			

भाग सी – भारित गैर-निधिकृत एक्सपोजर / तुलन-पत्र से इतर मद

प्रत्येक तुलन-पत्र से इतर मद को नीचे दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(₹. लाख में)

मद का स्वरूप	बही मूल्य	परिवर्तन कारक	समतुल्य मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य

नोट: नेटिंग केवल नकद मार्जिन या जमा द्वारा संपार्श्विक किए गए अग्रिमों के लिए किया जा सकता है और आस्तियों के संबंध में यह जहां मूल्यहास या अशोध और संदिग्ध ऋण के प्रावधान हैं।

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र	दिनांक	विषय
1	डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.86/09.18.201/2022-23	01.12.2022	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता
2	डीओआर.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23	07.09.2022	विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – क्रेडिट गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजर के लिए जोखिम भार
3	डीओआर.एमआरजी.आरईसी.64/00.00.005/2022-23 के अनुबंध का भाग डी	11.08.2022	अर्हित वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग – विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
4	डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22 अनुबंध का भाग 2	31.03.2022	अर्हित वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग – विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
5	डीओआर.सीएपी.आरईसी.92/09.18.201/2021-22	08.03.2022	शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गम और विनियमन – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
6	यूबीडी.सीओ.बीपीडी.पीसीबी.परिपत्र.सं.67/09.50.001/2013-14	30.05.2014	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता – शहरी सहकारी बैंक।
7	यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं.45/13.05.000/2013-14	28.01.2014	आवास क्षेत्र: नया उप-क्षेत्र – सीआरई क्षेत्र-निवासीय आवास क्षेत्र (सीआरई-आरएच) सीआरई क्षेत्र और प्रावधान का युक्तिकरण और जोखिम भार के भीतर क्षेत्र
8	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी परिपत्र सं.37/09.22.010/2013-14	14.11.2013	कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीकृत अग्रिम – जोखिम भार और प्रावधान।
9	यूबीडी.बीपीडी(एससीबी) परिपत्र सं.4/16.20.000/2012-13 का पैरा 2	10.06.2013	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा अनुबंध।
10	यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र	08.02.2010	बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार पर

क्र.सं.	परिपत्र	दिनांक	विषय
	सं.42/09.11.600/2009-10		विवेकपूर्ण दिशानिर्देश।
11	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.30/09.14.000/2008-09	16.12.2009	ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का विवेकपूर्ण व्यवहार।
12	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.73/09.14.000/2008-09	29.06.2009	ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का विवेकपूर्ण व्यवहार।
13	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.29/09.11.600/2008-09	01.12.2008	विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा-वाणिज्यिक अचल आस्ति और एनबीएफसी के एक्सपोजर के लिए मानक आस्तियों और जोखिम भार के लिए प्रावधान।
14	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.53/13.05.000/07-08	16.06.08	आवासीय आस्ति द्वारा प्रतिभूति किए दावे – जोखिम भार के लिए सीमा में परिवर्तन।
15	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.31/09.11.600/07-08	29.01.08	पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – शैक्षिक ऋणों के लिए जोखिम भार।
16	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.40/13.05.000/2006-07	04.05.07	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य – निवासीय आवास ऋण-जोखिम भार में कमी।
17	यूबीडी(पीसीबी) परिपत्र सं.39/13.05.000	30.04.07	2007-08 के लिए वार्षिक नीति विवरण-सोने/चांदी के गहनों पर ऋण-जोखिम भार में कमी।
18	यूबीडी(पीसीबी) परिपत्र सं.30/09.11.600/06-07	19.02.07	वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक विवरण की तीसरी तिमाही की समीक्षा – मानक आस्तियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता।
19	यूबीडी(पीसीबी) परिपत्र सं.7/09.29.000/2006-07 का पैरा 1(सी)	18.08.06	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 'जब जारी' लेनदेन – लेखांकन और संबंधित पहलू।
20	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.55/09.11.600/05-06	01.06.06	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति विवरण – वाणिज्यिक अचल संपत्ति के जोखिम पर जोखिम भार।
21	यूबीडी(पीसीबी).बीपीडी.परिपत्र सं. 46/13.05.000/2005-06	19.04.06	एलसी के तहत छूट वाले बिल – जोखिम भार और एक्सपोजर मानदंड।

क्र.सं.	परिपत्र	दिनांक	विषय
22	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.9/13.05.00/05-06	09.08.05	पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए जोखिम भार।
23	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.8/09.116.00/05-06	09.08.05	पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड – आवास वित्त / वाणिज्यिक अचल संपत्ति एक्सपोजर पर जोखिम भार।
24	यूबीडी.डीएस.परिपत्र सं.44/13.05.00/04-05	15.04.05	अग्रिमों की अधिकतम सीमा – व्यक्तियों/उधारकर्ताओं के समूह के लिए एक्सपोजर।
25	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.33/09.116.00/2004	05.01.05	आवास वित्त और उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार।
26	यूबीडी.पीसीबी.परिपत्र सं.26/09.140.00/2004-05	01.11.04	विवेकपूर्ण मानदंड – राज्य सरकार गारंटीकृत एक्सपोजर।
27	यूबीडी.सं.बीपीडी.पीसीबी.परिपत्र.52/09.116.00/2003-04	15.06.04	सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) के एक्सपोजर के लिए जोखिम भार।
28	यूबीडी.सं.बीपीडी.पीसीबी.परिपत्र.37/13.05.00/03-04	16.03.04	बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई।
29	यूबीडी.सं.बीपीडी.पीसीबी.परिपत्र.34/13.05.00/2003-04	11.02.04	अग्रिमों की अधिकतम सीमा – व्यक्तिगत/उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण एक्सपोजर की सीमा – पूंजीगत निधियों की गणना।
30	यूबीडी.सं.पीओटी.पीसीबी.परिपत्र.18/09.22.01/2002- 03	30.09.02	आवास वित्त पर जोखिम भार।
31	यूबीडी.सं.पीओटी.पीसीबी.परिपत्र.45/09.116.00/2000	25.04.01	शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना।
32	एसीडी.प्लान.1310/पीआर.36-72/3	24.11.1972	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में उधार से संबद्ध शेयर लिंकिंग